राजस्थान सिविल सेवा अपील अधिकरण, जयपुर

अपील संख्या :–2129 / 2021

विकास यादव

–अपीलार्थी

बनाम

राजस्थान राज्य जरिये प्रमुख शासन सचिव, शिक्षा विभाग,
राजस्थान, सचिवालय, जयपुर एवं अन्य

–प्रत्यर्थीगण

आदेश दिनांक : 05.07.2021

उपस्थिति :–
अपीलार्थी की ओर से : श्री गिरिराज राजौरिया, अभिभाषक

समक्ष :– रविशंकर श्रीवास्तव, अध्यक्ष
शुभा मेहता, सदस्य(न्यायिक)

आदेश

मामलें की आवश्यक प्रकृति को देखते हुए राजस्थान सिविल सेवा (सेवा मामलों के लिए अपील अधिकरण), अधिनियम, 1976 की धारा 4ए के उपबन्ध में शिथिलिता प्रदान करने की प्रार्थना स्वीकार करते हुए अपील की सुनवाई की गई।

अपील की ग्राहयता एवं स्थगन प्रार्थना पत्र पर अपीलार्थी के विद्वान अधिवक्ता को सुना गया।

अपीलार्थी द्वारा यह अपील आलोच्य आदेश दिनांक 04.06.2021 (अनुलग्नक–4) एवं कार्यमुक्ति आदेश दिनांक 17.06.2021 (अनुलग्नक–1) को चुनौती देते हुए प्रस्तुत की गई है, जिसके द्वारा उसे समग्र शिक्षा अभियान में प्रतिनियुक्ति पर कार्यालय अति.जिला परियोजना समन्वयक कार्यालय अलवर में उपस्थिति देने हेतु कार्यमुक्त किया गया।

अपीलार्थी के विद्वान् अधिवक्ता का तर्क है कि अपीलार्थी वरिष्ठ सहायक के पद पर कार्यरत है। अपीलार्थी ने पहले प्रतिनियुक्ति पर पदस्थापित किये जाने हेतु आवेदन किया एवं उसके पश्चात साक्षात्कार दिया परन्तु उक्त प्रतिनियुक्ति से पूर्व ही अपीलार्थी का स्थानान्तरण आदेश दिनांक 04.01.2021 द्वारा राजकीय बालिका उच्च माध्यमिक विद्यालय, मन्नी का बाड, अलवर में किया गया है जो उसके निवास के निकट स्थित है। कार्यग्रहण करने के पश्चात् उसे प्रतिनियुक्ति हेतु दिये गये साक्षात्कार के अनुसरण में आलोच्य आदेश दिनांक 17.06.2021 (अनुलग्नक–1) द्वारा कार्यमुक्त किया गया।

अपीलार्थी का आगे अभिकथन है कि उसने अपनी प्रतिनियुक्ति पर जाने के लिये जो सहमति दी थी, उसे उसने वापस ले लिया था। इस कारण आलोच्य आदेश नियमों एवं विरूद्ध जारी किये गये है, जो निरस्त किये जाने योग्य है। अतः उक्त आधार पर आलोच्य आदेश दिनांक 04.06.2021 एवं 17.06.2021 का क्रियान्वयन अपीलार्थी के सम्बन्ध में स्थगित किया जावे।

बहस सुनी गयी एवं पत्रावली का अवलोकन किया गया। अपीलार्थी के अपील में अंकित कथनानुसार अपीलार्थी स्वयं ने विज्ञापन दिनांक 09.11.2020 (अनुलग्नक–2) की पालना में प्रतिनियुक्ति पर जाने के लिये आवेदन किया और इस हेतु उसने साक्षात्कार भी दिया। इसी के अनुसरण में आलोच्य आदेश दिनांक 17.06.2021 (अनुलग्नक–1) द्वारा उसे कार्यमुक्त किया गया। इस प्रकार से अपीलार्थी ने प्रतिनियुक्ति पर जाने के लिये अपनी सहमति दी और उसने अपने सहमति दिनांक 04.06.2021 (अनुलग्नक–4) आदेश से पूर्व वापस ले ली थी, ऐसा अभिलेख और अपील के तथ्य से प्रकट नहीं हो रहा है। ऐसी स्थिति में प्रकरण के तथ्यों एवं परिस्थितियों को देखते हुए इस प्रक्रम पर अधिकरण द्वारा उक्त आलोच्य आदेश दिनांक 04.06.2021 (अनुलग्नक–4) एवं आदेश दिनांक 17.06.2021 (अनुलग्नक–1) की क्रियान्विति को स्थगित किये जाने का कोई औचित्य प्रतीत नहीं होता है।

अतः इस प्रक्रम पर एक पक्षीय अन्तरिम स्थगन आदेश पारित किया जाना उचित नहीं है। अपील को ग्राह्य करने से पूर्व प्रत्यर्थीगण को नोटिस देकर, सुना जाना आवश्यक है।

प्रत्यर्थीगण को दिनांक 09.08.2021 ग्राहयता एवं स्थगन प्रार्थना पत्र के नोटिस जारी हो।

अपीलार्थी द्वारा दो सप्ताह के अंदर प्रत्यर्थीगण के नोटिस, अपील मय प्रलेख की प्रति प्रस्तुत किये जावे, नोटिस प्रस्तुत होने पर प्रत्यर्थी के नोटिस अपीलार्थी के अभिभाषक को दस्ती दिये जावे।

पत्रावली दिनांक 09.08.2021 वास्ते ग्राह्यता जवाब एवं तामील समक्ष रजिस्ट्रार पेश हो।

(शुभा मेहता)
सदस्य (न्यायिक)

(रविशंकर श्रीवास्तव)
अध्यक्ष